

**कार्यालय :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।**

पत्रांक:- S44

दिनांक:- 10.5.16

सेवा में,

प्रधान सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची।

विषय :- वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों के अन्तर्गत कोडरमा जिला के मौजा परतांगो के खाता नं०- 20 प्लॉट नं०- 02 रकबा 25.11 एकड़ (10.16 हे०) क्षेत्र में पत्थर खनन पट्टा की स्वीकृति हेतु वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव।

प्रसंग :- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग का पत्रांक-1012 दिनांक-12.04.2016.

महाशय,

प्रासंगिक पत्र की (छाया प्रति संलग्न) के संबंध में सूचित करना है कि विषयगत परियोजना हेतु कुल 10.16 हे० वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव online तथा hard copy प्रस्ताव की पाँच प्रतियाँ प्राप्त हुआ है जिसे इस पत्र के साथ प्रस्ताव की तीन प्रतियाँ संलग्न कर अग्रतर कार्रवाई हेतु भेजा जा रहा है। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग रीजन, हजारीबाग के प्रतिवेदनानुसार प्रस्ताव के संबंध में वस्तुस्थिति निम्नवत् प्रतिवेदित किया जाता है:-

1. प्रस्तावित वनभूमि कोडरमा वन प्रमंडल में अवस्थित है।
2. प्रस्ताव के साथ प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के विहित प्रपत्र Part I A में सूचनाएँ एवं अभियुक्ति दर्ज है।
3. प्रस्ताव के साथ Part II एवं III में क्रमशः वन प्रमंडल पदाधिकारी, कोडरमा एवं मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग अंचल, हजारीबाग के अभियुक्ति एवं मंतव्य दर्ज है। साथ ही वन प्रमंडल पदाधिकारी तथा मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न है। जिसे अनु० XI पर देखा जा सकता है। अधोहस्ताक्षरी का Part IV में मंतव्य दर्ज है।
4. माईनिंग लिज के संबंध में सूचित करना है कि सहायक खनन पदाधिकारी कोडरमा ने अपने पत्रांक 348 दिनांक 01.07.15 द्वारा सूचित किया है कि विषयगत प्रस्ताव को वन विभाग से स्वीकृति मिलने के उपरांत ही खनन पट्टा की स्वीकृति प्रदान की जायगी अनु० III
5. प्रस्तावित वन भूमि की विस्तृत विवरणी प्रस्ताव के साथ अनु० VI पर द्रष्टव्य है जो निम्नवत् है :-

क्र.	वन प्रमंडल का नाम	मौजा	एवं थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	अधिसूचित	जंगल झाड़ी	कुल रकबा हे० में	वनस्पति घनत्व
1.	कोडरमा	परतांगो	कोडरमा / 354	20	02	10.16	NIL	10.16	0.1

6. प्रस्तावित वनभूमि का मौजा मैप संलग्न अनु०- VIII

7. 1:50,000 स्केल के टोपोशीट पर प्रस्तावित वनभूमि को चिह्नित कर मैप संलग्न है। अनु0— Plate – I
8. FRA 2006 के तहत उपायुक्त कोडरमा के पत्रांक 90 दिनांक 23.02.16 द्वारा दावा रहित प्रमाण पत्र प्राप्त है।
9. प्रस्ताव के साथ अनुमोदित माईनिंग प्लान संलग्न है। अनु0 VI
10. प्रस्ताव के साथ लागत लाभ विश्लेषण संलग्न है अनु0— VIIIA,B,C
11. प्रस्ताव के साथ georeference digital plan shape file में संलग्न है अनु0—V
12. प्रस्ताव के साथ प्रभावित होने वाली वृक्षों की गणना सूची संलग्न है जिसे Part II के अनु0 A पर द्रष्टव्य कुल 55 वृक्षों की पातन सम्भावित है।
13. प्रस्ताव के साथ land use plan संलग्न है plate IV पर द्रष्टव्य।
14. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस परियोजना हेतु भिन्न-भिन्न मर्दों की राशि जैसे CA NPV आदि जमा करने हेतु वचनबद्धता दी गयी है। जिसे अनु0 VII पर द्रष्टव्य।
15. प्रस्तावित 10.16 हे० वनभूमि अपयोजन के बदले समतुल्य गैर वन भूमि CA हेतु गुमला जिला अन्तर्गत ग्राम बराडीह एवं गोमठ में चयन किया गया है। जिसे अनु0 XVI पर द्रष्टव्य इसके साथ चयनित गैर वनभूमि का नक्शा, प्राक्कलन, Georeference digital plan एवं संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी का CA हेतु उपयुक्ता प्रमाण पत्र संलग्न है।
16. प्रस्ताव के साथ ग्राम सभा/आम सभा की resolution की प्रति संलग्न है।
17. पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्ति हेतु प्रयोक्ता अभिकरण ने वचनबद्धता दी है कि वन विभाग से स्वीकृति मिलने के उपरान्त ही इस हेतु आवेदन किया जायगा। अनु0 Z
18. प्रस्तावित वनभूमि पर किसी प्रकार का viololation की सूचना नहीं है।
19. प्रस्तावित वनभूमि पर किसी का विस्थापन होने की संभावना नहीं है।
20. प्रस्तावित वनभूमि किसी नेशनल पार्क, वन्यप्राणी आश्रयणी वायोस्फेयर, टाईगर रिजर्व हाथी कोरिडोर का हिस्सा नहीं है।
21. वन प्रमंडल पदाधिकारी, कोडरमा ने सूचित किया है कि कोडरमा वन्यप्राणी आश्रयणी से प्रस्तावित वनभूमि की दूरी 5.44 किलोमीटर है।
22. प्रधान मुख्य वन संरक्षक—सह—मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची से वन्यप्राणी से संबंधित मंतव्य प्राप्त की जा रही है। प्राप्त होने पर अलग से उपलब्ध करा दी जायगी।
23. वन विभागीय पत्रांक 4542 दिनांक 08.10.14 द्वारा निर्गत निदेश के आलोक में इस परियोजना के लिए प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची से संचिका पर अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है।
24. इस प्रस्ताव को अनुसंशा पार्ट IV में दर्ज है साथ ही इसे online कर Time Line पत्र के साथ संलग्न है।
25. जिले एवं वन प्रमंडल से संबंधित मूल भूत सूचनाएँ Part II की कंडिका 12 में अंकित है।

क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा विषयगत परियोजना हेतु 10.16 हे० वनभूमि अपयोजन के लिए अनुसंशा की गई है। अधोहस्ताक्षरी इससे सहमत हैं।

अनुरोध है कि विषयगत परियोजना प्रस्ताव हेतु 10.16 हे० वनभूमि अपयोजन हेतु स्टेज- I स्वीकृति की दिशा में अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाए।

अनु० यथोक्त ।
प्रस्ताव तीन प्रतियों में।

विश्वासभाजन

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड,
झारखण्ड, राँची।

Kdn
10.5.16

क्र.	वन प्रकार	क्षेत्र	वन भूमि नं०	आवक नं०	खेट नं०	अधिकृतित दिनांक	अग्रत आदेश	वन भूमि नं०	अनुसंशा प्रस्ताव
1	कोयला परतण	कोयला	364	20	02	10.16	NIL	10.16	27

प्रस्तावित वन भूमि की विस्तृत विवरणी प्रस्ताव के साथ संलग्न है जो संलग्न है।

PART –IV

(To be filled in by the Nodal officers or Principal Chief Conservator of Forest or Head of Forest Department)

PORTANGO STONE MINE 10.16 ha.

17. Detailed opinion and specific recommendation of the State Forest Department for acceptance of otherwise of the proposal with remarks.

(While giving opinion, the adverse comments made by concerned Conservator of Forest or Deputy Conservator of Forests should be categorically reviewed critically commented upon) :-

Recommended for diversion of 10.16 ha. Forest land.

Date :- 10.05.2016

Place :- Ranchi

Signature

(ARUN KUMAR PRABHAKAR)

Nodal Officer

Name & Designation

(Official Seal)

*Principal Chief Conservator of
Forest-cum-Executive Director
Wasteland Development Board
Jharkhand Ranchi*